

कार्यालय,**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

: -कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4894-VISHWANATH INSTITUTE OF PHARMACY VILL & POST-RAIPUR TEHSIL-JAKHANIYA,RAIPUR,GHAZIPUR-275204			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार

कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उ०प समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार

अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, VISHWANATH INSTITUTE OF PHARMACY VILL & POST-RAIPUR TEHSIL-
JAKHANIYA, RAIPUR, GHAZIPUR-275204



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,
राज्य पाठ्यविद्यालय परिषद,
बस्तर प्रदेश अध्यापक।**

संख्या:- शांति/परिषद सम्बद्धता/2020/1874

लक्ष्यक तिर्था: 16-8-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तत्काली शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यी कर्मचारी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14-08-2020 हेतु दिनांक 14-08-2020 को अनुमोदन प्रदान किए जाने को सम्बन्धित शांति शिक्षा परिषद, बस्तर अध्यापक की सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-08-2020 को अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यी अध्यापक की सम्बद्धता में प्रवेश प्रदान किया। दिनांक में समिति द्वारा सब 2020-21 हेतु अखिल नई दिल्ली को सम्बद्धता/पूर्व की सम्बद्धता सम्बन्धी को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश प्रदान बुद्धि ज्ञान के साथ पर विचार करने हेतु सब 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किया जाने का निर्णय किया गया।

जिस को अनुमति में सम्बद्धता समिति की बैठक में सब-3 में विस्तार इन कर्मचारी पाठ्यक्रम सम्बन्धित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध सम्बन्धी को प्रदान करा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विचार कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

" निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन कार्नेली पाठ्यक्रम सम्बन्धित करने वाली संस्थाएं, जो पाठ्यविद्यालय परिषद, बस्तर अध्यापक की पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सब 2020-21 हेतु पीसीआईए द्वारा उन्हें सम्बन्धित अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईए द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्बन्धित अखिल पाठ्यक्रम/प्रवेश प्रदान की साथ सब 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विचार किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईए द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सब 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को अखिल सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न प्रकार को शांति शिक्षा परिषद, बस्तर अध्यापक द्वारा सब 2020-21 हेतु निम्नलिखित कर्मचारी को अखिल पाठ्यक्रम एवं उपाधी अखिल शिक्षा सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	क. पीसीआईए द्वारा सब 2020-21 में अनुमोदन प्रदान किया	दिनांक/परिषद द्वारा सब 2020-21 में अनुमोदन प्रदान किया
1	संस्था का नाम	डिप्लोमा इन कार्नेली	हां	हां

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था द्वारा पीसीआईए/राज्यी द्वारा स्थापित की गयी शर्तें एवं शर्तें पालन करनी।
- ✓ संस्था द्वारा अखिल शांति शिक्षा परिषद एवं अखिल शांति शिक्षा परिषद विभागद्वारा 1997 संस्था विभागद्वारा-2020 तथा अन्य शिक्षा विभाग एवं अखिल को अनुमोदन प्रदान करने की साथ साथ निर्णय समिति द्वारा निर्धारित शुल्क को भी अखिल पाठ्यक्रम हेतु सब 20,00,000/- प्रवेश, दो वर्षीय अखिल पाठ्यक्रम हेतु सब-25,000,00/- प्रवेश एवं एक वर्ष की वर्षीय पाठ्यक्रम की वर्षीय अखिल पाठ्यक्रम के अखिल हेतु सब-20,00,000/-

(Handwritten Signature)

